FIVE RUPEES

CF. Rs 10/-
DF. Rs 51-

140

न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2004..05

-6959
8/5/05

ऋषभ चौधरी आत्मज स्व. नेमीचंद जैन
विजय कुमार जैन आत्मज नेमीचंद्र जैन
निवासीगण 30 कोतवाली हनुमानताल जबलपुर

अपीलार्थीगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन
द्वारा ग्राम पंचायत कठौंदा
तहसील व जिला जबलपुर

उत्तरवादी

A. 727-I/05

RL-6959
18/5/05

अपील अंतरगत धारा 44 म.प्र.भू.रा.संहिता

अपीलार्थी अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर के आदेश दिनांक 3.1.2005 प्रकरण क्रमांक 319/अ 63/2000..01 से व्यथित होकर निम्म तथ्यों एवं आधार पर अपील प्रस्तुत कर रहा है..

तथ्य

{1} कि ग्राम पंचायत कठोंदा के सचिव द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की गई कि अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायता कठौंदा पहुँच मार्ग के दोनों तरफ लगे 42 छायादार बबूल के वृक्ष बिना पंचायत की अनुमति के काट लिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। ग्राम पंचायत का सचिव अपीलार्थीगण से व्यक्तिगत दुर्भावना रखता हैं इसलिये उसने उनके विरूद्ध झूठी शिकायत प्रस्तुत की हैं। उत्तरवादी की ओर से अपीलार्थीगण के विरूद्ध ऐसा कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया हैं। इसके वावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश पारित प्रकरण क्रमांक 8/अ 63/97.98 में किया। जिसकी अपील अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर के यहां प्रस्तुत की किन्तु न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर द्वारायह आदेश पारित किया कि वृक्षों का काटा जाना प्रमाणित होता है अत अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसंगत है। फलस्वरूप अपीलार्थी अपील प्रस्तुत कर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक अपील 727-एक/05 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-7-16	प्रकरण का अवलोकन किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी रजिस्टर्ड पोस्ट से अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 3.1.05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । न्यायदृष्टांत 1984 आर0एन0 241 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 9, 41 अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन याचिका या अन्य आवेदन पत्र के प्रस्तुतिकरण हेतु विहित प्रक्रिया निर्धारित की गई है । रजिस्ट्रीकृत डाक से पुनरीक्षण याचिका का प्रस्तुतीकरण विधिसम्मत नहीं है । उक्त आधार पर याचिका ग्राह्य नहीं की जा सकती । उक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में यह अपील नियमानुसार ग्राह्य योग्य नहीं है । इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में दिनांक 16-11-12 को आवेदक के अधिवक्ता उपस्थित हुये, इसके उपरांत वे लगातार उपस्थित हैं । आवेदकगण को उपस्थित होने हेतु कई बार सूचना पत्र भेजे गये हैं । किंतु वे उपिस्थत नहीं हो रहे हैं । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें प्रकरण को चलाने में रूचि नहीं है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी विधिवत प्रस्तुत न होने तथा अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में रूचि न लिए जाने के कारण निरस्त की जाती है । 2/ पक्षकार सूचित हों प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	